

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1908

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस विभाग में अर्दली पद्धति

†1908 श्री बाल कुमार पटेल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस कर्मियों की कमी और अर्दली पद्धति के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवासों पर निम्न रैंक के व्यक्तियों की अर्दली के रूप में तैनाती को खत्म करने के लिए कोई सिफारिशें/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) : जी, हां।

(ख) : पूर्व में इस प्रयोजनार्थ गठित विभिन्न समितियों/आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2004 में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। पुलिस को व्यावसायिक रूप से सक्षम और सेवा अभिमुखी संगठन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संवेदनशील होने के कारण समीक्षा समिति ने पुलिस सुधारों पर 49 सिफारिशें की थीं। समीक्षा समिति की एक सिफारिश यह थी कि अधिकारियों को याचिकाओं की पावती और टेलीफोन कॉलों के निपटान में सहायता करने के लिए कांस्टेबल/हेल्पर की संलग्नता पद्धति द्वारा मौजूदा अर्दली पद्धति को बदला जाना चाहिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने “लोक व्यवस्था: प्रत्येक के लिए न्याय.....सबके लिए शांति” नामक अपनी 5वीं रिपोर्ट में भी सिफारिश की है कि अर्दली पद्धति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए।

लो० सं० अता० प्र० सं० 1908

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 की प्रविष्टि 1 और 2 में “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” “राज्य के विषय” होने के कारण पुलिस सुधारों के उपायों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है।

समीक्षा समिति की 49 सिफारिशों वाली रिपोर्ट और “लोक व्यवस्था: प्रत्येक के लिए न्याय....सबके लिए शांति” नामक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कार्यान्वयन हेतु भेजी गई थी।

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से पुलिस प्रशासन में सुधारों के कार्यान्वयन के लिए आग्रह करती रहती है ताकि लोगों की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें।
